भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2004

03 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषयः कृषि विपणन एकीकृत योजना (आईएसएएम)

2004. श्री धर्मेन्द्र कश्यपः

श्री गिरीश चन्द्रः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 01.04.2014 से अब तक कृषि विपणन एकीकृत योजना (आईएसएएम) में उल्लिखित कितने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) आईएसएएम में उल्लिखित कितने उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) राज्य, सहकारी और निजी क्षेत्र के निवेशों को पार्श्वांत राजसहायता प्रदान करके कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा देना।

(ii) वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा वित्तपोषण को बढ़ावा देना।

(iii) किसानों को प्राथमिक प्रोसेसर से सीधे एकीकरण के लिए एकीकृत मूल्य श्रंखला (केवल प्राथमिक प्रसंस्करण के चरण तक सीमित) को बढ़ावा देना।

(iv) किसानों को कृषि विपणन में नई चुनौतियों के लिए संवेदनशील और उन्मुखी बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग विस्तार के एक माध्यम के रूप में करना।

(v) आवक और कीमतों के संबंध में बाजार की जानकारी और डेटा के त्वरित संग्रह और प्रसार के लिए एक राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क प्रणाली स्थापित करना ताकि किसानों और अन्य हितधारकों द्वारा इसका कुशल और समय पर उपयोग किया जा सके।

(vi) किसानों को अपनी उत्कृष्ट उपज के लिए बेहतर और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए कृषि जिंसों के ग्रेड मानक तैयार करने और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता करना।

(vii) कृषि व्यवसाय परियोजनाओं की स्थापना में निजी निवेश को उत्प्रेरित करना और इस प्रकार उत्पादकों को सुनिश्चित मंडी उपलब्ध कराना और उत्पादकों और उनके समूहों के साथ कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं के पश्चवर्ती संपर्कों को मजबूत करना।

(viii) कृषि विपणन क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार और परामर्श को शुरू करना और बढ़ावा देना।

(ix) ई-नाम के माध्यम से एक राष्ट्रीय एकीकृत कृषि मंडी की स्थापना करना।
कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण से संबंधित उपर्युक्त (i) और (iii) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और एकीकृत मूल्य श्रृंखला (प्राथमिक प्रसंस्करण के चरण तक सीमित) को बढ़ावा देने के लिए, 9753 विपणन अवसंरचना परियोजनाएं तैयार की गई हैं।

उपर्युक्त उद्देश्य (ii) के संबंध में, वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के सृजन के संबंध में, इस योजना के तहत 345.52 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता तैयार की गई है।

उपर्युक्त उद्देश्य (iv) और (v) के संबंध में, सरकार आईएसएएम की विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क उप योजना (एमआरआईएन) को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना में देश भर में फैले 3356 बाजारों का कवरेज है, जिसमें 300 से अधिक वस्तुओं और 2000 किस्मों का कवरेज है। मंडी मूल्य और आवक डेटा को एगमार्कनेट पोर्टल के माध्यम से कैप्चर किया जा रहा है और डीडी किसान मोबाइल एप्लिकेशन और किसान कॉल सेंटर जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से प्रसार किया जा रहा है।

उपर्युक्त उद्देश्य (vi) के संबंध में, सरकार किसानों को अपनी उत्कृष्ट उपज के लिए बेहतर और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए कृषि जिंसों के ग्रेड मानकों के निर्धारण और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता करने के लिए आईएसएएम की उप योजना, एगमार्क ग्रेडिंग सुविधा सुदृढ़ीकरण (एसएजीएफ) को कार्यान्वित कर रही है। अब तक, कुल 226 कृषि जिंस ग्रेड मानकों को तैयार और स्थापना के बाद से अधिसूचित किया गया है जिसमें हल्दी, शहद, क्रीमी बटर, गेहूं, अटा, बेसन, आदि सहित फल, सब्जियां, अनाज, दलहन, तिलहन, वनस्पति तेल, घी, मसाले शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि उपज की ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए देश भर में कुल 4529 प्राधिकृत प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, ताकि किसानों को उनकी श्रेणीबद्ध उपज के लिए बेहतर और लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके।

उपरोक्त उद्देश्य (vii) के संबंध में, सरकार लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से जोखिम पूंजी सहायता योजना (वीसीए) कार्यान्वित कर रही है। वीसीए योजना के तहत, एसएफएसी ने कुल 2852 कृषि व्यवसाय परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है।
ऊपर उद्देश्य (viii) के संबंध में, सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) ने 55 सर्वेक्षण और अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। इसके अलावा, एनआईएएम द्वारा 880 प्रशिक्षण और सेमिनार कार्यक्रम और 96 परामर्श परियोजनाएं भी पूरी की गई हैं।

उपर्युक्त उद्देश्य (ix) के संबंध में, पारदर्शी गुणवत्ता आधारित मूल्य खोज प्रणाली प्रदान करने के लिए वास्तविक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक विनियमित थोक मंडियों को एकीकृत करके एक राष्ट्रीय कृषि मंडी को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) नामक एक ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो अंतर-मंडी और अंतर-राज्य व्यापार के माध्यम से कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए मध्यस्थता को कम करने में मदद करता है। 16 राज्यों और 02 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।

****